भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3550**

(जिसका उत्तर 27 मार्च, 2018/06 चैत्र, 1940 (शक) को दिया जाना है)

**राजसहायता-प्राप्त ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋण**

3550. श्री रामकुमार वर्माः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार फसली ऋण के संवितरण के परिणामस्वरूप सहकारी संस्थानों को हुई हानि की भरपाई करने हेतु राजसहायता-प्राप्त ब्याज दर पर अल्पावधिक ऋण प्रदान करने का इरादा रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)

**(क) से (ग):** *कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्‍याण विभाग, भारत सरकार द्वारा एक ब्‍याज सहायता योजना कार्यान्‍वि‍त की जा रही है, जिसके अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों (उनकी केवल ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी शाखाओं द्वारा दिए गए ऋण के संबंध में), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) तथा सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्‍याज दर पर 3.00 लाख रुपए तक का लघु अवधि फसल ऋण उपलब्‍ध कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत सरकार ऐसे फसली ऋणों के लिए सीधे सहकारी बैंकों को उनके संसाधनों के प्रयोग के कारण उन्‍हें होने वाली क्षति को पूरा करने के लिए 2 प्रतिशत की ब्‍याज सहायता उपलब्‍ध कराती है।*

*इसके अलावा, सहकारी बैंक राष्‍ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से लघु अवधि सहकारी ग्रामीण ऋण (पुनर्वित्‍त) निधि के जरिए 4.5 प्रतिशत की रियायती ब्‍याज दर पर लघु अवधि पुनर्वित्‍त प्राप्‍त करते हैं।*

\*\*\*\*\*